

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :- कॉलेज में छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाये और राज्य के सभी महाविद्यालयों द्वारा शारीरिक दण्ड नहीं देने के नियमों का पालन करने के संबंध में।

संदर्भ:- शासन उप सचिव उच्च शिक्षा, (गुप-3) विभाग के पत्रांक क्रमांक प.10(20) शिक्षा/गुप-3/2021-01826 जयपुर राजकाज रेफरेंस नं. 5442723 दिनांक 31.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं देने के नियमों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्राचार्य आवश्यकतानुसार छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित रखने हेतु उक्त संबंध में कार्यशाला आयोजित करे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो.विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा, (गुप-3) विभाग के पत्रांक क्रमांक प.10 (20) शिक्षा/गुप-3/2021-01826 जयपुर राजकाज रेफरेंस नं. 5442723 दिनांक 31.01.2024 के क्रम में।
2. कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की डायरी क्रमांक संख्या 314 दिनांक 24.01.2024 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक प्रशासन के यू.ओ.नोट क्रमांक एफ.1(प्रशा./आकाशि/गुप-3/2024 दिनांक 07.02.2024 के क्रम में।
4. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(प्रो.विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

RajKaj Ref
6665618



Signature valid

Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.04.16 17:06:08 IST
Reason: Approved